भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3893
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

विदेशी कानूनी फर्में

3893. डॉ. सुभाष रामराव भामरे :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
श्री कुलदीप राय शर्मा :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कानूनी व्यवसाय को नियंत्रित करने वाली शासी निकाय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ने भारत में विदेशी कानून फर्मों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के लिए अपनी सहमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने स्वदेशी कानूनी फर्मों पर इस तरह के कदम के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखा है और यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ; (घ) क्या सरकार एक पूर्व शर्त लगाएगी कि भारत में विदेशी कानूनी फर्मों को कानूनी और पैरा-लीगल काम करने के लिए कम से कम तीन चौथाई लोगों को रोजगार देना चाहिए ; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान में प्रस्ताव की स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) : विदेशी विधि फर्मों के प्रवेश संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है। विधि आयोग की 266वीं रिपोर्ट और भारतीय विधिज्ञ परिषद बनाम ए. के. बालाजी और अन्य, के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 13.03.2018 का निर्णय जो इस मुद्दे का निपटान करता है, भी सरकार के विचाराधीन है।

****